



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 327 राँची, मंगलवार, 23 आषाढ़, 1942 (श०)
14 जुलाई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

06 जुलाई, 2020

आदेश सं०-5/आरोप-1-163/2016 का०-3087-- सुश्री प्रतिभा कुजूर, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-402/स्था०, दिनांक 24.11.2016 द्वारा अनधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-218, दिनांक 09.01.2017 द्वारा सुश्री कुजूर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में सुश्री कुजूर के पत्रांक-62/स्था०, दिनांक 02.02.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा चिकित्सीय कारणों से अनुपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

सुश्री कुजूर के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-5468, दिनांक 18.04.2017 द्वारा उपायुक्त, जामताड़ा से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, जामताड़ा से मंतव्य अप्राप्त रहने पर इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-86/स्था०, दिनांक 06.02.2020 द्वारा सूचित किया गया कि सुश्री कुजूर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त,

जामताड़ा के पत्रांक-246/स्था0, दिनांक 16.05.2017 द्वारा पूर्व में ही मंतव्य उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त मंतव्य में उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा सुश्री कुजूर के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः, समीक्षोपरांत सुश्री प्रतिभा कुजूर, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा के विरुद्ध इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।
